भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1090
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष योजनाएँ

1090. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सुधार लाने के लिए कोई विशेष योजनाएँ बना रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित की है या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(घ) यदि हाँ, तो इन लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;
(ङ) क्या इन जिलों में स्वास्थ्य सेवा के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई विशेष योजना है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। अत: योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, अनुरक्षण करना तथा आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करना संबन्धित राज्य सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी संसाधनो की सीमा के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाहियों के रिकार्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। प्रत्येक राज्य को प्रदान किए गए अनुमोदनों की संख्या नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) में संदर्भित है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उनकी आवश्यकताओं और कमियों के आधार पर अपनी **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं** (पी. आई. पी.) में पहल के लिए प्रस्ताव करने का अवसर दिया जाता है और इस प्रकार स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाता है।

(ग) से (च): भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपना समर्थन देना जारी रखता है। स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की आयोजना बनाना और उनका कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार मानदंडों और उनकी आवश्यकता के अनुसार नई पहलों का प्रस्ताव कर सकती है। भारत सरकार जाँच के बाद मानदंडों के अनुसार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित एन. एच. एम. (पी. आई. पी.), पी. एम.-ए. बी. एच. आई. एम., 15वें वित्त आयोग के तहत मंजूरी दी है। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और कार्य प्रदर्शन की निगरानी, नियमित समीक्षा बैठकों, एन. एच. एम. के माध्यम से आयोजित क्षेत्रीय दौरों और सामान्य समीक्षा मिशन (सी. आर. एम.) के माध्यम से की जाती है।

*****